

20.07.21.

वकील अपीलान्ट उपर। अवगत कराया कि अधी
न्यायालय में जैरकार प्रा.पत्र 212 RTA का निस्तारण
दिनांक 5.12.17 को हो चुका है। अतः अपील
प्रभाव हीन हो चुकी है। जिसे प्रभाव हीन में स्वीकृत
किया जावे। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन के
पश्चात पाया कि प्रा.पत्र 212 का निस्तारण दि
05.12.17 को हो चुका है। अतः पत्रावली प्रभाव-
हीन में स्वीकृत की जाती है। फ़ैसल शुभकर होकर
नम्बर से कम की जावे। बाद जाणा दारखत -
दफ़तर हो।

३६